www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉप्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञाप्ति

दिनांक: 16.03.2017

सीबीआई ने तथाकथित 158 किग्रा (लगभग) कैनाबीस (गाँजा) रखने के मामले में पॉच आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने तथाकथित 158 किग्रा (लगभग) कैनाबीस (गाँजा) रखने के मामले में पॉच आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया

पानीपत एवं कुरूक्षेत्र (हरियाणा) निवासी उक्त आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 की धारा 20 के साथ पठित धारा 8 एवं 29 के तहत मामला दर्ज हुआ। सीबीआई ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर गिरोह को रोका। उक्त गिरोह, गाड़ी संख्या 13151 (सियालदा एक्सप्रेस) से वहाँ उतरा था। तलाशी के दौरान, उनके पास से 158 किग्रा (लगभग) का कैनाबीस (गाँजा) पाया गया।

गिरफ्तार आरोपियों को ए.डी.जे.(III) सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) की अदालत के समक्ष पेश किया एवं न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

आगे की जॉच जारी है।

****